

कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

क्रमांक / ५०२९ / अ-८२ / भू-अर्जन / 2021-22 / 2022

कोण्डागांव, दिनांक १२/१०/२०२२

भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 सहपडित नियम 7 के अंतर्गत अधिनियम 2013 की धारा 4 के अधीन गठित सामाजिक समाधात निर्धारण दल के द्वारा छत्तीसगढ़ भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (सामाजिक समाधात निर्धारण, सहमति तथा जन सुनवाई) 2016 नियम 13, 16 से 20 तक एवं 23 की कार्यवाही किये जाने हेतु नियम-11 के तहत अधिसूचना प्रकाशित की जाती है।

नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	क्षेत्रफल		लोक प्रयोजन का विवरण
			कुल खसरा	कुल रकबा	
कोण्डागांव	कोण्डागांव	मुलनार	10	0.711 हेठो	जिला कोण्डागांव के ग्राम—लखापुरी से मुलनार मार्ग के किमी ० १/६ भंवरडीग नदी पर उच्चस्तरीय पुलमय पहुंच मार्ग निर्माण कार्य में आने वाले ग्राम—मुलनार की निजी भूमि

उपरोक्त उल्लिखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाधात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक ३१/१०/२०२२ को समय 11.00 बजे स्थान ग्राम पंचायत भवन मुलनार पर नियत की गई है, प्रस्तावित भूमि का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

एक	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	ग्राम—लखापुरी से मुलनार मार्ग के किमी ० १/६ भंवरडीग नदी पर उच्चस्तरीय पुलमय पहुंच मार्ग निर्माण कार्य हेतु
दो	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	10
तीन	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	0
चार	प्रभावित क्षेत्र के निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या	निरंक
पांच	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या	निरंक
छ:	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	हॉ 0.711 हेक्टेयर
सात	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	हॉ
आठ	परियोजना का कुल लागत	1584.00 लाख
नौ	परियोजना से होने वाले लाभ	प्रस्तावित सेतुमय पहुंच मार्ग निर्माण के पूर्ण होने पर क्षेत्रवासियों को जिला मुख्यालय, ब्लाक मुख्यालय आने जाने हेतु वर्ष पर्यन्त आवागमन की सुविधा उपलब्ध होगी।
दस	प्रस्तावित समाधात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय	5.00 लाख
ग्यारह	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	निरंक

उपरोक्त भू-अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/ संस्था को काई जानकारी/ सुझाव देना हो तो वह विहित तिथि/ समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी।


(दीपक सोनी)

कलेक्टर


जिला—कोण्डागांव

इवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

पृ.क्रमांक / १५२९ / अ-८२ / भू-अर्जन / 2021-22 / 2022
प्रतिलिपि:-

कोणडागांव, दिनांक १२/१०/२०२२

1. सचिव, छोटा शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय नया रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. अनुविभागीय अधिकारी (रा०) एवं भू-अर्जन अधिकारी कोणडागांव को आवश्यक कार्यवाही हेतु मूल प्रकरण सहित प्रेषित।
3. नियंत्रक, शासकीय मुद्राणालय राजनांदगांव छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ। कृपया इसे राजपत्र भाग-१ में प्रकाशित कर एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
4. कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, जगदलपुर को सूचनार्थ। कृपया अधिसूचना का प्रकाशन दो रथानीय समाचार पत्रों में कराकर प्रकाशित प्रति अनुविभागीय अधिकारी (रा०) एवं भू-अर्जन अधिकारी कोणडागांव को उपलब्ध करावें।
5. डी.आई.ओ. एन.आई.सी. जिला कार्यालय कोणडागांव को, अधिसूचना को राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के भू-अर्जन से संबंधित वेबसाईट एवं जिला के वेबसाईट में अपलोड करने हेतु एवं अपलोड किये जाने संबंधी प्रमाण पत्र अनुविभागीय अधिकारी (रा०) कोणडागांव को उपलब्ध कराने बाबत्।
6. तहसीलदार कोणडागांव/नायब तहसीलदार मर्दापाल को अधिसूचना की प्रति कार्यालय तहसील, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा०), कलेक्टर जिला कोणडागांव, कार्यालय ग्राम पंचायत-मुलनार, कार्यालय जनपद पंचायत-कोणडागांव में प्रकाशन कर पंचनामा प्रमाण पत्र की प्रति अनुविभागीय अधिकारी (रा०) कोणडागांव को पृथक-पृथक उपलब्ध कराने बाबत्।
7. सचिव ग्राम पंचायत-मुलनार, तहसील-कोणडागांव को सूचनार्थ एवं अधिसूचना का ग्राम पंचायत-मुलनार के सूचना पटल पर चर्चा व मुनादी करवाकर रिपोर्ट अनुविभागीय अधिकारी (रा०) एवं भू-अर्जन अधिकारी कोणडागांव के कार्यालय में प्रस्तुत करें।
8. सामाजिक समाधात अध्ययन दल के समर्त सदस्य..... को सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु।


(दीपक सोनी)

कलेक्टर

जिला-कोणडागांव
एवं पद्मेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
 राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग